न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठीसीन अधिकारी
डॉ.अंजली राजोरिया I.A.S.

प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
03 / 2025 GCMS NO 2025/110	04 / 08 / 2025	29 /12/ 2025

प्रार्थी

म्मीद हाउसिंग फाईनेन्स प्राईवेट बनाम लिमिटेड,रजिस्टर्ड ऑफिस युनिट नं. 009–2014 बीसवां फलोर मेग्नम ग्लोबल पार्क सेक्टर 58, गुडगांव 122011

अप्रार्थी / बाकीदार–ऋणी

1. श्री भोलेश्वर कुमावत पुत्र अम्बालाल निवासी गोतमेश्वर रोड वार्ड नंबर 8, गांव सालमगढ़ प्रतापगढ़ –ऋणी
2. श्री अंगुरबाला कुमावत पत्नी भोलेश्वर कुमावत निवासी सालमगढ़ प्रतापगढ़ –सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत्

उपस्थिति :–

श्री संजय शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष

दिनांक :– 29/12/2025

–: आदेश :–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को ऋण अनुबंध संख्या **RLXPRA02922230018869** से दिनांक 23.08.2022 को ऋण कुल 7,00,000/–रूपये अप्रार्थी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में सम्पित्ति का सम्पूर्ण हिस्सा आराजी नंबर 362 ग्राम सालमगढ़ गोतमेश्वर रोड तहसील दलोट जिला प्रतापगढ़ स्थित भूखण्ड जिसका क्षैत्रफल 3614.14 वर्गफीट है। जिसके पडोस पूर्व में–लक्ष्मीनारायण का मकान, पश्चिम में –गोवर्धन लाल जी का मकान, उत्तर में – दानदाता की भूमि, दक्षिण में –सालमगढ़ गोतमेश्वर रोड स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रख कर उपरोक्तानुसार कुल 7,00,000/–रूपये अक्षरे सात लाख रूपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.03.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजुद ऋण राशि मय ब्याज 7,22,237.12 /–रू. अक्षरे सात लाख बाईस हजार दो सैतीस रूपये बारह पैसे भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002** की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

। २।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। विपक्षी को समन जारी किये गये परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षी ऋणी को दिनांक 17.03.2025 को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड जारी किया गया है। जिसकी अप्रार्थी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act** 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. अतः अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में रखी गई जमानत प्रतिभूति के रूप में सम्पित्ति का सम्पूर्ण हिस्सा आराजी नंबर 362 ग्राम सालमगढ़ गोतमेश्वर रोड तहसील दलोट जिला प्रतापगढ़ स्थित भूखण्ड जिसका क्षैत्रफल 3614.14 वर्गफीट है। जिसके पडोस पूर्व में–लक्ष्मीनारायण का मकान, पश्चिम में –गोवर्धन लाल जी का मकान, उत्तर में – दानदाता की भूमि, दक्षिण में –सालमगढ़ गोतमेश्वर रोड स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 29/12/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. अंजली राजोरिया)
जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है
1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़
2. उम्मीद हाउसिंग फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड,रजिस्टर्ड ऑफिस युनिट नं. 2009–2014 बीसवां फलोर मेग्नम ग्लोबल पार्क सेक्टर 58 गुडगांव 122011
3. श्री भोलेश्वर कुमावत पुत्र अम्बालाल निवासी गोतमेश्वर रोड वार्ड नंबर 8, गांव सालमगढ़ प्रतापगढ़